

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक साथ चुनाव को मंजूरी

प्रलिस लयि:

केंद्रीय मंत्रिमंडल, एक साथ चुनाव, लोकसभा, राज्य वधिनसभाएँ, एक राष्ट्र एक चुनाव, नगर पालकिएँ, पंचायतें, भारत नरिवाचन आयोग, राज्य नरिवाचन आयोग, अवशिवास परस्ताव, EVMs, VVPATs, वधिआयोग, आदर्श आचार संहति, अनुच्छेद 356, मंत्रपिरषिद ।

मेन्स के लयि:

एक साथ चुनाव की आवश्यकता और संबधति चतिारँ ।

स्रोत: हदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के परस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत पूरे भारत में लोकसभा, राज्य वधिनसभाओं और स्थानीय नकियौं के चुनाव एक साथ होंगे ।

- यह नरिणय पूरव राष्ट्रपति रामनाथ कोवदि की अधयक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समति द्वारा 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' योजना पर रपिरट परस्तुत करने के बाद लयिा गया ।

एक साथ चुनाव संबधी समति की प्रमुख सफिरशिएँ क्या हँ?

- संवधिन में संशोधन: दो वधियकौं में एक साथ चुनाव कराने के लयि संवधिन में संशोधन कयिा जाना चाहयि ।
 - वधियक 1: लोकसभा और राज्य वधिनसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे । इसके लयि संवधिन संशोधन के लयिराज्यौं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी ।
 - वधियक 2: नगर पालकिएँ और पंचायतौं के चुनाव, लोक सभा और राज्य वधिनसभाओं के चुनावों के साथ इस प्रकार समनवयति कयि जाएंगे क स्थानीय नकिय के चुनाव, लोक सभा और राज्य वधिनसभाओं के चुनावों के 100 दनिों के अंदर कराए जाएँ ।
 - इसके लयि कम से कम आधे राज्यौं के अनुमोदन की आवश्यकता होगी ।
- आवश्यक संशोधन: एक साथ चुनाव कराने के लयि समति ने भारत के संवधिन में 15 संशोधनों की सफिरशि की थी । कुछ प्रमुख संशोधनों में शामिल हँ:
 - अनुच्छेद 82A: कोवदि समति द्वारा अनुशंसति पहला वधियक संवधिन में एक नया अनुच्छेद 82A जोड़ने से शुरू होगा ।
 - अनुच्छेद 82A द्वारा वह प्रक्रयिा स्थापति होगी जिसके द्वारा देश में लोकसभा और राज्य वधिनसभाओं के लयि एक साथ चुनाव कराने की प्रणाली लागू होगी ।
 - इसने सफिरशि की है क अनुच्छेद 327 के तहत संसद की शक्तिका वसितार करके इसमें "एक साथ चुनाव कराने" को भी शामिल कयिा जाना चाहयि ।
 - अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172: इसने सफिरशि की क अनुच्छेद 83(4) और 172(4) के तहत लोकसभा या राज्य वधिनसभा शेष "अधूरे कार्यकाल" के लयि कार्य करेगी और फरि नरिधारति समय के तहत एक साथ चुनाव कराए जाने के अनुसार उसे भंग कर दयिा जाएगा ।
 - अनुच्छेद 324A: इस समति ने संवधिन में एक नया अनुच्छेद 324A शामिल करने का सुझाव दयिा है ।
 - यह नया अनुच्छेद संसद को यह सुनशिचति करने के लयि कानून बनाने का अधिकार देगा कनिरग पालकिया और पंचायत चुनाव, लोकसभा और राज्य वधिनसभाओं के साथ-साथ आयोजति कयि जाएँ ।
- एकल मतदाता सूची और नरिवाचन पहचान पत्र: भारत नरिवाचन आयोग (ECI) राज्य नरिवाचन आयोगों (SEC) के परामर्श से चुनाव के सभी तीन स्तरों के लयि एकल मतदाता सूची और नरिवाचन पहचान पत्र तैयार कर सकता है ।
 - राज्य स्तर पर मतदाता सूची और नरिवाचन पहचान पत्र के संबध में राज्यनरिवाचन आयोग की शक्तिको भारत नरिवाचन आयोग को हस्तांतरति करने के लयि संवधिन संशोधन के लयि कम से कम आधे राज्यौं के अनुमोदन की आवश्यकता होगी ।
- त्रशिकु वधिनसभा या समयपूरव वधिटन: त्रशिकु सदन अवशिवास परस्ताव या ऐसी कसिी घटना की स्थति में सदन की शेष अवधि के लयि नई लोकसभा या राज्य वधिनसभा का गठन करने के लयि चुनाव कराए जाने चाहयि ।

- **रसद आवश्यकताओं को पूरा करना:** भारत नरिवाचन आयोग, राज्य नरिवाचन आयोगों के परामर्श से अग्रिम रूप से योजना बनाएगा और आकलन करेगा तथा जनशक्ति, मतदान कर्मियों, सुरक्षा बलों, **ईवीएम/वीवीपीएटी** आदि के नयोजन हेतु कदम उठाएगा।
- **चुनावों का समन्वयन:** चुनावों का समन्वयन करने के लिये समिति ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली बैठक पर जारी अधिसूचना के माध्यम से एक 'नयित तथि' नरिधारित करें।
 - यह तथि नये चुनावी चक्र की शुरुआत का प्रतीक होगी।
 - प्रस्तावित अनुच्छेद 82A के तहत, "नयित तथि" के बाद आयोजित किसी भी आम चुनाव में नरिवाचति सभी राज्य वधिनसभाएँ, लोकसभा के पूरुण कार्यकाल के अंत में समाप्त होंगी, भले ही उन्होंने अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया हो या नहीं।
 - उदाहरण: पश्चिम बंगाल (2026) और कर्नाटक (2028) में अगले वधिनसभा चुनाव के बाद मई या जून 2029 में इन वधिनसभाओं का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और अगली लोकसभा के कार्यकाल के साथ इनको समन्वित किया जाएगा।



Upcoming State/UT elections

as of September 16, 2024

State Assembly tenures end in different years for each State

■ 2029 ■ 2026 ■ 2025 ■ 2028 ■ 2027 ■ Sep-Oct. 2024 ■ Nov-Dec. 2024



एक साथ चुनाव कराने पर पूरुव की सफिराशें क्या हैं?

- **वधिआयोग:** वर्ष 2018 में स्थापित 21 वें **वधिआयोग** ने प्रस्ताव दिया कि एक साथ चुनाव कराने से कई लाभ होंगे जिसमें लागत बचत एवं प्रशासनिक संरचनाओं और सुरक्षा बलों पर दबाव कम होना आदि शामिल हैं।
 - वर्ष 1999 में भारत के वधिआयोग ने देश में चुनाव प्रणाली में सुधार के उपायों की जाँच करते हुए लोकसभा और राज्य वधिनसभाओं के

लिये एक साथ चुनाव कराने की सफ़ाई की थी।

- कार्मिक, लोक शकियत, वधि और न्याय संबधी वधि-संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 79 वीं रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने के लिये एक वैकल्पिक और व्यावहारिक पद्धति की सफ़ाई की थी।
- नीति आयोग: नीति आयोग ने वर्ष 2017 में एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया गया था।

एक साथ चुनाव क्या है ?

- परिचय:** एक साथ चुनाव का अर्थ लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों अर्थात् नगर पालिकाओं और पंचायतों का एक साथ चुनाव कराना है।
 - इसका प्रभावी अर्थ यह है कि एक मतदाता एक ही दिन और एक ही समय में सरकार के सभी स्तरों के सदस्यों के चुनाव के लिये अपना वोट डालता है।
 - वर्तमान में ये सभी चुनाव एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से होते हैं तथा प्रत्येक निर्वाचित निकाय की शर्तों के अनुसार समय-सीमा निर्धारित की जाती है।
 - इसका तात्पर्य यह नहीं है कि देश भर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिये मतदान एक ही दिन में हो जाना चाहिये। इसे चरणबद्ध तरीके से कराया जा सकता है।
 - इसे लोकप्रिय रूप से एक राष्ट्र, एक चुनाव के रूप में जाना जाता है।
- इतिहास:** वर्ष 1967 के चौथे आम चुनाव तक एक साथ चुनाव प्रचलन में थे।
 - हालांकि उत्तरोत्तर केंद्र सरकारों ने संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकारों को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही बर्खास्त कर दिया तथा राज्यों और केंद्र में गठबंधन सरकारें वधि होती रहीं, इसलिये एक साथ चुनाव कराने की प्रथा समाप्त हो गई।
 - इसके बाद एक साथ चुनाव कराने के चक्र के बाधित होने से देश में अब एक वर्ष में पाँच से छह चुनाव होते हैं।
 - यदि नगर पालिका और पंचायत चुनावों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो चुनावों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी।
- एक साथ चुनाव की आवश्यकता:** एक साथ चुनाव की वांछनीयता पर लागत, शासन, प्रशासनिक सुविधा और सामाजिक सामंजस्य के दृष्टिकोण से चर्चा की जा सकती है।
 - लागत में कमी:** लोकसभा के लिये आम चुनाव कराने में केंद्र सरकार को लगभग 4,000 करोड़ रुपये का खर्च करना होता है। राज्य के आकार के आधार पर राज्य विधानसभा चुनावों में भी काफी खर्च होता है।
 - एक साथ चुनाव कराने से इन समग्र लागतों में कमी आ सकती है।
 - अभियान मोड:** मंत्रियों सहित राजनीतिक दल अक्सर राज्य में लगातार होने वाले चुनावों के कारण 'अभियान' में लगे रहते हैं जिससे प्रभावी नीति-निर्माण एवं शासन में बाधा उत्पन्न होती है।
 - आदर्श आचार संहिता:** चुनाव अवधि के दौरान (जो 45-60 दिनों तक चलती है) आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा नई योजनाओं या परियोजनाओं की घोषणा नहीं की जा सकती है, जिससे शासन पर और अधिक प्रभाव पड़ता है।
 - कार्यकुशलता पर प्रभाव:** चुनावों के दौरान प्रशासनिक प्रक्रिया शथिल हो जाती है क्योंकि पूरा ध्यान चुनाव कराने पर केंद्रित हो जाता है। इसके साथ ही चुनावों में अर्द्धसैनिक बलों को भी शामिल किया जाता है।
 - सामाजिक सामंजस्य:** प्रतियोगी चुनावों के कारण ध्रुवीकरण अभियान से बहु-धार्मिक और बहुभाषी देश में सामाजिक विभाजन और भी गहरा हो सकता है।
 - अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता:** असमय चुनाव, अनिश्चितता और अस्थिरता का कारण बनते हैं जिससे आपूर्ति श्रृंखला, व्यावसायिक निवेश और आर्थिक विकास बाधित होते हैं।
 - मतदाताओं पर प्रभाव:** बार-बार चुनाव होने से मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में चुनौती आती है। एक साथ चुनाव होने से एक बार में ही वोट डालने का अवसर मिलता है।

एक साथ चुनाव कराने से संबंधित चिंताएँ क्या हैं?

- संघीय भावना का कमजोर होना:** राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय दलों पर बढ़त मिलने से संघीय भावना कमजोर हो सकती है।
 - इससे क्षेत्रीय दल हाथिये पर जा सकते हैं जो स्थानीय मुद्दों और जमीनी स्तर के प्रचार पर निर्भर रहते हैं जबकि राष्ट्रीय दलों को बड़े संसाधनों और मीडिया प्रभाव से लाभ मिलता है।
 - पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने एक साथ चुनाव कराने की आलोचना करते हुए कहा कि इससे राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों के बीच का अंतर कम हो जाता है, जिससे संघवाद कमजोर होता है।
- चुनावी फ्रीडबैक:** चुनाव सरकारों के लिये फ्रीडबैक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। हर पाँच वर्ष में केवल एक बार चुनाव कराने से प्रभावी शासन के लिये ज़रूरी समय पर फ्रीडबैक लूप बाधित हो सकता है।
- समयपूर्व वधि:** यदि एक साथ चुनाव कराए जाते हैं और सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है तो यह प्रश्न उठता है कि क्या सभी राज्यों में नए चुनाव कराने की आवश्यकता होगी, भले ही सत्तारूढ़ दल के पास उन राज्यों में पूर्ण बहुमत हो।
- संवैधानिक संशोधन:** एक साथ चुनाव कराने के लिये संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172 और 174 में संशोधन की आवश्यकता होगी, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि और वधि से संबंधित हैं।
 - अनुच्छेद 356 में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, जिससे राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य विधानसभाओं को भंग करने की अनुमति मिलती है।
- मतदाता समन्वय:** क्षेत्रीय दल मतदाताओं को शामिल करने के लिये व्यक्तिगत तरीकों पर निर्भर होते हैं जैसे घर-घर जाकर प्रचार करना, स्थानीय बैठकें और छोटी रैलियाँ आयोजित करना आदि। एक साथ होने वाले चुनावों में मतदाता कॉर्पोरेट मीडिया के प्रभाव और बड़ी संगठित रैलियों से प्रभावित हो सकते हैं।

- एक अध्ययन में पाया गया कि 77% संभावना है कि दोनों चुनाव एक साथ होने पर मतदाता एक ही पार्टी को वोट देंगे।

एक साथ चुनाव से संबंधित चर्चाओं का समाधान?

- भारतीय शासन की लोकतांत्रिक प्रकृति: राजनेताओं को अपने कार्यकाल के अंत में पुनः चुनाव लड़ना पड़ता है, जिससे वे वधायिका के "स्थायी सदस्य" बनने से वंचित हो जाते हैं।
 - भारतीय शासन की इस लोकतांत्रिक संरचना से यह सुनिश्चित होता है कि राजनेता अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह रहें।
- जवाबदेही तंत्र की स्थापना: मंत्रपरिषद, वधायिका के प्रति जवाबदेह है और न्यायिक नगिरानी राजनीतिक जवाबदेही बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
 - इसलिये बार-बार चुनाव कराना राजनेताओं को जवाबदेह बनाए रखने का एकमात्र या सबसे प्रभावी साधन नहीं है।
- भ्रष्टाचार पर लगाम: चुनावों में काफी खर्च की आवश्यकता होती है और राजनेता अक्सर चुने जाने के बाद इस खर्च की भरपाई करना चाहते हैं। इससे भ्रष्टाचार और समानांतर बलैक इकॉनमी को बढ़ावा मिलता है।
- एक साथ चुनाव कराने से भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लग सकता है।
- अंतरराष्ट्रीय उदाहरण: दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और जर्मनी जैसे संसदीय लोकतंत्रों ने अपने वधियामंडलों का कार्यकाल निश्चित कर रखा है।
 - दक्षिण अफ्रीका में हर पाँच वर्ष में एक साथ राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव होते हैं।
 - स्वीडन और जर्मनी अपने प्रधानमंत्री और चांसलर का चुनाव हर चार वर्ष में करते हैं तथा इनमें समय से पहले चुनाव कराए बिना अवशिष्टता की स्थिति से निपटने की व्यवस्था होती है।

नष्कर्ष:

एक साथ चुनाव कराने से लागत में कमी, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि तथा शासन में कम व्यवधान जैसे संभावित लाभ मिलते हैं। हालाँकि इसमें संवैधानिक संशोधनों, तार्किक जटिलताओं और संघवाद पर चर्चाओं सहित चुनौतियाँ भी शामिल हैं। परिवर्तनकारी उपायों के साथ अक्सर अल्पकालिक कठिनाइयाँ आती हैं, जिससे उन्हें लागू करना राजनीतिक रूप से जोखिम भरा हो जाता है। हतिधारकों के परामर्श और चरणबद्ध कार्यान्वयन एवं संतुलित दृष्टिकोण से इन चर्चाओं को दूर करने के साथ ही पूरे भारत में एक साथ चुनाव कराने के लाभों को प्राप्त किया जा सकता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में एक साथ चुनाव कराने से संभावित लाभ और चुनौतियाँ क्या हैं?

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा के पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

1999

निम्नलिखित में से कौन-सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को न्यित करता है?

- एक प्रतबिद्ध न्यायपालिका
- शक्तियों का केन्द्रीकरण
- नरिवाचन सरकार
- शक्तियों का पृथक्करण

उत्तर: (d)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर वचिार कीजिये-

- भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में तीन नरिवाचन-क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है।
- 1991 में लोकसभा चुनाव में श्री देवी लाल ने तीन लोकसभा नरिवाचन-क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था।
- वर्तमान नयिमों के अनुसार, यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई नरिवाचन-क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है, तो उसकी पार्टी को उन नरिवाचन-क्षेत्रों के उप-चुनावों का खर्च उठाना चाहिये, जिन्हें उसने खाली किया है बशर्ते वह सभी नरिवाचन-क्षेत्रों से वजियी हुआ हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 3
- 2 और 3

उत्तर: (b)

?????

प्रश्न: राष्ट्रीय वधिनरिमाता के रूप में व्यक्तगित सांसद की भूमिका में कमी आ रही है, जसिके परणामस्वरूप बहस की गुणवत्ता एवं परणाम पर प्रतकिल प्रभाव पडा है। चर्चा कीजयि। (2019)

प्रश्न: “भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली, शासन का प्रभावी उपकरण सदिध नहीं हुई है।” इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए इस स्थतिमें सुधार हेतु उपाय बताइये। (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/union-cabinet-approved-simultaneous-elections>

